सं. 6.1(2)/2023-बै. एवं अनु.
संघ लोक सेवा आयोग
(बै. एवं अनु. अनुभाग)
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली-110069

दिनांक : 31.03.2023

सेवा में

विषय : संघ लोक सेवा आयोग में अग्निशमन उपकरणों / आग बुझाने वाली रेत भरी बाल्टियों आदि के व्यापक वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (सीएएमसी) के लिए निविदा आमंत्रण सूचना।

महोदय,

संघ लोक सेवा आयोग परिसर अर्थात मुख्य भवन, एनेक्सी भवन, आयोग सचिवालय, परीक्षा भवन, के.लो.नि.वि.उप केंद्र, पुराना अतिथि गृह नं. 3, खत्ता, के.औ.सु.ब. लेन तथा मेस (जामनगर हाउस) रिकार्ड कक्ष (जामनगर हाउस) में विभिन्न स्थानों पर लगे 438 अग्निशमन उपकरणों तथा 126 आग बुझाने वाली रेत भरी बाल्टियों आदि के वार्षिक विस्तृत अनुरक्षण अनुबंध (सीएएमसी) के लिए निविदाएं आमंत्रण की जाती हैं । संघ लोक सेवा आयोग परिसर में स्थित अग्निशमन उपकरणों / रेत भरी बाल्टियों का विवरण निविदा आमंत्रण सूचना के **अनुबंध-I** में देखा जा सकता है। इन अग्निशमन उपकरणों / रेतभरी बाल्टियों की सही स्थिति को किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 11.04.2023 से 14.04.2023 तक 3.00 बजे से 4.00 बजे के दौरान दूरभाष सं. 011-23388418 पर संपर्क करके कार्यालय में आकर देख सकते हैं।

2. निविदा दस्तावेज केंद्रीय लोक प्रापण पोर्टल (सीपीपीपी) की वेबसाइट http://eprocure.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

3. इच्छुक बोलीदाता निर्धारित प्रारूप में दो बोली प्रणाली में निविदा ऑन-लाइन http://eprocure.gov.in पर प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा केवल ई-प्रापण (ई-प्रोक्योरमेंट) पोर्टल **http://eprocure.gov.in** के जरिये ऑन-लाइन मोड में प्रस्तुत की जानी है। पात्रता मानदंड आदि के समर्थन में सभी दस्तावेजों को स्कैन किया जाना है और निविदा दस्तावेज के साथ अपलोड किया जाना है। ऑनलाइन माध्यम के अलावा किसी अन्य माध्यम द्वारा भेजी गयी निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। इस

प्रयोजनार्थ निर्धारित तारीख तथा समय की समाप्ति के बाद किसी भी परिस्थिति में चाहे जो भी हो निविदा दस्तावेज स्वीकार नही किया जाएगी।

क्रिटिकल डेट शीट

खुली निविदा सूचना	: फा.सं. 6.1(2)/2023-एम एंड एम
संगठन का नाम	: संघ लोक सेवा आयोग
जारी/प्रकाशन की तिथि	: 31.03.23 को 1730 बजे
दस्तावेज़ डाउनलोड प्रारंभ दिनांक	: 31.03.23 को 1800 बजे
दस्तावेज़ डाउनलोड समाप्ति तिथि	: 24.04.23 को 1500 बजे
बोली अपलोड करने की अंतिम तिथि	: 24.04.23 को 1500 बजे
तकनीकी बोली खोलने की तिथि	: 25.04.23 को 1500 बजे
संचार के लिए पता	: अवर सचिव (एम एंड एम), कमरा नंबर 426, यूपीएससी, आयोग सचिवालय भवन, धौलपुर हाउस, सहजन रोड, नई दिल्ली-110069
वेबसाइट	: https://eprocure.gov.in/eprocure/app http://upsc.gov.in

4. संघ लोक सेवा आयोग में अग्निशमन उपकरणों तथा आग बुझाने वाली रेत की बाल्टियों के लिए व्यापक वार्षिक अनुरक्षण संविदा (सी ए एम सी) की सामान्य निबंधन एवं शर्तें निविदा दस्तावेज में दी गई हैं। संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सी पी पी पी पर **http://eprocure.gov.in** के जरिये बोली के ऑन-लाइन ई-प्रस्तुतीकरण के लिए ''निविदाकर्ता/संविदाकर्ता को अनुदेश'' में दिये गए अनुदेशों का अनुपालन करें।

5. 35,000/- रूपये (पैंतीस हजार रूपयेमात्र) की धरोहर जमा राशि (ईएमडी) जो एकाउन्ट पेयी डिमांड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/बैंकर्स चेक के रूप में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, दिल्ली / नई दिल्ली के पक्ष में देय हो या ई एम डी छूट प्रमाण-पत्र, जो वास्तविक रूप में एक सीलबंद लिफाफे में हो, जिसपर विधिवत रूप से बड़े अक्षरों में "अग्निशमन उपकरणों तथा आग बुझाने वाली रेतभरी बाल्टियों'' की (सीएएमसी) के लिए बोली लिखा हो, जो अवर सचिव / परामर्शदाता(बै. एवं अनु.), संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली को संबोधित करते हुए निविदा प्रस्तुत करने की

निर्धारित तिथि और समय की समाप्ति से पहले संघ लोक सेवा आयोग के सहायता काउन्टर पर स्वागत कक्ष के पास रखे **निविदा बॉक्स** में डाली जानी चाहिए।यदि मूल धरोहर जमा राशि निविदा प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख तथा समय के दौरान जमा नहीं की जाती है तो बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। तथापि, बैंक ड्राफ्ट की स्कैन की हुई कापी इलेक्ट्रानिक रूप से http://eprocure.gov.in पर अपलोड की जानी चाहिए। निर्धारित तारीख तथा समय के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसी बोली के संबंध में न ही कोई पत्राचार किया जाएगा। यदि, कोई बोलीदाता या तो एन एस आई सी या किसी अन्य सरकारी एजेन्सी द्वारा ईएमडी संलग्न करने से छूट प्राप्त है, तो ऐसे छूट प्रमाण-पत्र की स्कैन की हुई प्रति इलेक्ट्रानिक रूप से http://eprocure.gov.in पर अपलोड की जानी चाहिए। इसके साथ ही उपर्युक्त उल्लिखित एक प्रति आयोग कार्यालय में जमा की जानी चाहिए। यदि बोली ईएमडी / ईएमडी छूट प्रमाण-पत्र के प्राप्त की जाती है तो उसपर विचार नहीं किया जाएगा और उसे सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

6.बोलियां, संघ लोक सेवा आयोग में तीन अधिकारियों की समिति द्वारा दिनांक 24.04.2023 को 3.00 बजे अपराह्न में ऑनलाइन खोली जाएंगी। यदि बोली जमा करने की निर्धारित तारीख को या अनुवर्ती तारीख को इस कार्यालय के लिए घोषित अवकाश या बंद अवकाश होता है तो बोलियां इस कार्यालय के अगले कार्य दिवस को खोली जाएगी। बोली के मूल्यांकन के पश्चात निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी) अपनी विशिष्ट अनुशंसा (अनुशंसाएं) देगा जिसे अपलोड किया जाएगा और बोलिदाताओं द्वारा देखा जा सकेगा।

7. संघ लोक सेवा आयोग के सक्षम प्राधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी समय निविदा को निरस्त करने या निविदा दस्तावेज में शामिल किसी भी निबंधन एवं शर्तों में संशोधन करने या उसे वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है।

(टी. थियानखानमुआन)
अवर सचिव (सामान्य-I)

प्रतिलिपि अग्रेषितः-

1. संघ लोक सेवा आयोग के पंजीकृत बोलीदाता / संविदाधारक को परिचालित करने हेतु।
2. निदेशक, एनआईसी को उपर्युक्त ई -निविदा नोटिस को सरकारी ई-प्रापण (ई-प्रोक्योरमेंट) पोर्टल पर रखने के अनुरोध के साथ।
3. वेबसेल, संघ लोक सेवा आयोग।
4. गार्ड फाईल।

सं. 6.1(2)/2023-बै. एवं अनु.
संघ लोक सेवा आयोग
(बै. एवं अनु. अनुभाग)
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली-110069

दिनांक : 31.03.2023

सेवा में

विषय : संघ लोक सेवा आयोग में अग्निशमन उपकरणों / आग बुझाने वाली रेत भरी बाल्टियों आदि के व्यापक वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (सीएएमसी) के लिए निविदा आमंत्रण सूचना।

महोदय,

संघ लोक सेवा आयोग परिसर अर्थात मुख्य भवन, एनेक्सी भवन, आयोग सचिवालय, परीक्षा भवन, के.लो.नि.वि.उप केंद्र, पुराना अतिथि गृह,खत्ता, के.औ.सु.ब. लेन तथा मेस (जामनगर हाउस) रिकार्ड कक्ष (जामनगर हाउस) में विभिन्न स्थानों पर लगे 438 अग्निशमन उपकरणों तथा 126 रेत भरी बाल्टियों आदि के वार्षिक विस्तृत अनुरक्षण व के लिए निविदाएं आमंत्रण की जाती हैं। संघ लोक सेवा आयोग परिसर में स्थित अग्निशमन उपकरणों / आग बुझाने वाली रेत भरी बाल्टियों का विवरण सी ए एम सी बोली दस्तावेज के **अनुबंध-I** में देखा जा सकता है। इन अग्निशमन उपकरणों / रेतभरी बाल्टियों की सही स्थिति को किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 11.04.2023 से 14.04.2023 तक 3.00 बजे से 4.00 बजे के दौरान दूरभाष सं. 011-23388418 पर संपर्क करके कार्यालय में आकर देख सकते हैं।

2. अग्निशमन उपकरणों / आग बुझाने वाली रेत भरी बाल्टियों के व्यापक वार्षिक अनुरक्षण के लिए प्रस्तुत की जाने वाली बोली ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए।

धरोहर जमा राशि

3. 35,000/- रुपये (पैंतीस हजार रुपये मात्र) की धरोहर जमा राशि (ईएमडी)

डिमांड ड्राफ्ट / पे-ऑर्डर / बैंक के चेक के रूप में, सचिव, संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली / नई दिल्ली के पक्ष में देय हो या ईएमडी छूट प्रमाण-पत्र जो एक सीलबंद लिफाफे में हो, जिस पर विधिवत रूप से बडे अक्षरों में "अग्निशमन उपकरणों / आग बुझाने वाली रेत भरी बाल्टियों के लिए सीएएमसी'' लिखा हो, को दिनांक 24.04.2023, 3.00 बजे अपराह्न तक सं.लो.से.आ. के सहायता काउन्टर पर रखे **निविदा बॉक्स** में डाला जाना चाहिए। तथापि, ईएमडी / ईएमडी छूट प्रमाण-पत्र तकनीकी बोली के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड किया जाना चाहिए।

कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि

4. सफल बोलीदाता को कुल लागत की 7%राशि 'कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि' के तौर पर डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर / एफ.डी.आर. के रूप में जमा करानी होगी जो सचिव, सं.लो.से.आ. के पक्ष में देय हो, जमा हो।'कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि' अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने के बाद 60 दिनों तक वैध रहेगी। बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई ई एम डी (धरोहर जमा राशि) सफल बोलीदाता को इस संबंध में पत्र जारी करने के बाद या सफल बोलीदाता से 'कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि' प्राप्त होने पर वापस लौटा दी जाएगी।

<u>कार्य का क्षेत्र</u>

5. सीएएमसीके अंतर्गत मुख्य कार्य अग्निशमन उपकरणों / रेत भरी बाल्टियों आदि का रखरखाव और उन्हें पुन: भरना है। वेंडर को संविदा प्रदान किए जाने की तारीख से एक वर्ष तक अग्निशमन उपकरणों / रेत भरी बाल्टियों को पुन: भरने का कार्य करना होगा। री-फिलिंग और रख-रखाव आदि के लिए वेंडर द्वारा उद्धृत मूल्य सभी प्रचलित करों से अलग होंगे। <u>प्रत्येक अग्निशमन यंत्र को वर्ष में कम से कम एक बार तथा आवश्यकता होने पर पुन: भरा जाना चाहिए।</u>

6. वेंडर दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) या भारतीय मानक ब्यूरो के मानदंड के अनुसार प्रत्येक अग्निशामक का समय-समय पर हाइड्रोलिक दाब परीक्षण करेगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अग्निशामक वर्षों से सरंचनात्मक रूप से कमजोर हो गया है। इस संबंध में वेंडर द्वारा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

<u>प्रत्येक माह किया जाने वाला कार्य:</u>

(क) सीएएमसी के बोली दस्तावेज के **<u>अनुबंध-II</u>** के अनुसार, कॉम्प्लेक्स में विभिन्न

स्थानों पर लगाए गए अग्निशमन उपकरणों की मासिक जांच / विधिवत जांच के बाद उपकरण को संबंधित स्थानों पर पुनर्स्थापित करना / संयोजित करना / स्टीकर बदलना / रिपोर्ट तैयार करना / मरम्मत करना / नंबर डालना आदि और एक जॉब सूची कार्ड दर्शाना होगा जो एक पारदर्शी पोलीथीन में विधिवत रूप से सुरक्षित हो, प्रत्येक अग्निशमन उपकरण पर लगाना होगा जिस पर विधिवत रूप से कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि तथा सं.लो.से.आ. के नामित नोडल अधिकारी के संयुक्त रूप से हस्ताक्षर होंगे।

(ख) अग्निशमन उपकरणों को आवश्यकता पड़ने पर पुनः भरना।

(ग) सीएएमसी के बोली दस्तावेज के **<u>अनुबंध– III</u>** के प्रारूप के अनुसार प्रत्येक अग्निशमन उपकरण पर सेवा पर्ची दर्शाना।

(घ) कॉम्प्लेक्स में विभिन्न स्थानों पर स्थित उपकरणों आग बुझाने वाली रेत की बाल्टियों की मासिक जांच / विधिवत जांच करने के बाद संबंधित स्थानों पर उपकरणों को पुनर्स्थापित करना / स्टीकर लगाना / स्टीकर बदलने / रिपोर्ट तैयार करने / मरम्मत करने / नंबर डालनाऔर समय–समय पर आवश्यकतानुसार उपचारात्मक कार्रवाई करना जैसे आग बुझाने वाली रेत की बाल्टियों में भरी हुई रेत को उड़ेलना, ज्वलनशीलपदार्थों (कागज के टुकड़े, प्रयोग की गई माचिस की तिलियां निकालने के बाद) को रेत से अलग करना, प्रत्येक बाल्टी में रेत की आवश्यक मात्रा की जांच करना और आवश्यक स्तर से कम मिलने पर प्रतिपूर्ति करना।

(ङ) जैसे और जब आवश्यकता पड़ने पर आग बुझाने वाली रेत की बाल्टियों को पुनः भरना।

(च) सी ए एम सी के बोली दस्तावेज के **<u>अनुबंध–IV</u>**में दर्शाए गए प्रारूप के अनुसार मासिक चेक लिस्ट प्रस्तुत करना।

(छ) आयोग द्वारा बुलाने के अनुरोध किए जाने पर वेंडर को आना होगा।

(ज) मासिक जांच / पुनः भरना आदि आयोग द्वारा नियुक्त सुरक्षा अधिकारी या नोडल अधिकारी की उपस्थिति में करना होगा।

(झ) फर्म को संविदा कार्यों को लागू करने के दौरान इकट्ठा होने वाला मलबा यदि कोई हो, का निपटान स्वयं करना होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जाएगी।

7. **पात्रता मानदंड**

आवेदन करने वाली एजेंसी के पास वैध आयकर पैन नं. तथा सेवा कर खाता सं. होना चाहिए। एजेंसी के पास इस प्रकार की सेवाएं किसी सरकारी मंत्रालय / विभाग अथवा तीन सितारा या पांच सितारा होटलों तथा बड़ी निजी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रदान करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए । फर्म का वार्षिक कारोबार दस लाख रू. से अधिक का होना चाहिए। तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिएं।

(I) फर्म के वार्षिक कारोबार में अन्य बातों के साथ पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2019- 20, 2020-21 तथा 2021-22 में उनका निवल लाभ / हानि का उल्लेख किया जाना चाहिए जो उनके चार्टरित लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित हो।

(II) फर्म के सेवाकर पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति।

(III) फर्म के आय कर पैन कार्ड की प्रति।

(Iv) पिछले तीन वर्षों अर्थात 2019- 20, 2020-21 तथा 2021-22 की आयकर विवरणी की प्रति।

(v) अद्यतन सेवाकर विवरणी की प्रति।

(vI) सरकारी मंत्रालयों / विभागों या तीन सितारा या पांच सितारा होटलों तथा बड़ी निजी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कम से कम तीन वर्षों तक ऐसी सेवाप्रदान करने संबंधी प्रमाण पत्र।

(vII) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए व्यापार लाइसेंस यदि कोई हो, की प्रति प्रमाण के तौर पर कि बोलीदाता अग्निशमन उपकरणों के रखरखाव तथा उन्हें पुन: भरने संबंधी व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत है।

(vIII) सी ए एम सी के अनुबंध-Vके अनुसार प्रमाण पत्र जमा करना।

दो बोली प्रणाली :

8. बोलियां दो भागों में निम्नानुसार प्रस्तुत की जानी चाहिएं: %&

(क) तकनीकी बोली: पहला भाग अग्निशमन उपकरणों / आग बुझाने वाली रेट भरी बाल्टियों की वार्षिक रख रखाव संविदा के लिए तकनीकी बोली हैऔर इसमें सी एएमसी के बोली दस्तावेज के **अनुबंध VI**में उल्लिखित जांच सूची के अनुसार दस्तावेज होने चाहिएं।

(ख) वित्तीय बोली : द्वितीय भाग वित्तीय बोली है। वित्तीय बोली सी ए एम सी के बोली दस्तावेज के **अनुबंध-VIII**में दर्शाये गए बी ओ क्यू के अनुसार केवल ऑन-लाइन प्रक्रिया के जरिए प्रस्तुत की जानी है।

9. तकनीकी बोली का मूल्यांकन तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) द्वारा किया जाएगा। टीईसी की संस्तुतियाँ पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड की जाएंगी।

10. केवल उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोली पर विचार किया जाएगा, जिनकी तकनीकी बोलियों को तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) द्वाराव्यवस्थित पाया जाता है। बोलियों का मूल्यांकन दरों (करों को छोड़कर) के आधार पर किया जाएगा। वित्तीय बोलियां केवल बी ओ क्यू प्रारूप में ऑन-लाइन प्रस्तुत की जानी हैं।

11. फर्म बी ओ क्यू में उल्लेखित प्रत्येक हेड के अंतर्गत सभी कार्यों के लिए दरें उद्धृत करेंगी। एल-1 फर्म का निर्णय बी ओ क्यू से अनुबंध VIII पर क्रमांक सं. 30 पर वित्तीय बोली में उद्धृत समग्र दरों के एन पी वी के आधार पर किया जाएगा।

12. फर्म / बोलीदाता द्वारा उद्धृत की दरों को तर्कसंगत और न्यायोचित होना चाहिए।

<u>एल-1 बोलीदाता का निर्णय करने की विधि :</u>

13 (क) बोलीदाता को प्रत्येक मद के लिए प्रत्येक तीन वर्ष के लिए दर उद्धत करनी चाहिए। प्रत्येक वर्ष के लिए मूल्य स्थिर रहेंगे। विभिन्न वर्षों के लिए समान तुलनात्मक दर के लिए, दर को समान फुटिंग पर लाने के लिए एन पी वी (कुल वर्तमान मूल्य) का उपयोग 10% वार्षिक बट्टे के रूप में किया जाता है और तद्नुसार L-1 लागू करों को छोड़कर दरों के अनुसार तय किया जाएगा।

13 (ख) निविदा दस्तावेज़ में बट्टे की दर और एन पी वी की गणना पूर्व प्रकटित है जो निम्नानुसार है :

एन पी वी ={वर्ष 1 +वर्ष 2 / (1+0.1)+ वर्ष 3/(1+ 0.1) ^{2} }

जहां-

एन पी वी का अर्थ कुल वर्तमान मूल्य है।

वाई-1 का अर्थ प्रथम वर्ष के लिए उद्धृत की गई दर है।

वाई–2 का अर्थ द्वितीय वर्ष के लिए उद्धृत की गई दर है।
वाई–3 का अर्थ तृतीय वर्ष के लिए उद्धृत की गई दर है।

चूंकि एन पी वी गणना का परिचय नि.आ.सू. में दिया जा रहा है, अत: यह प्रस्तावित है कि नि.आ.सू. में परिकलन को एक उदहारण के जरिए समझा जा सकता है जो निम्नानुसार है:

उदाहरण के लिए:- यदि प्रथम वर्ष (वर्ष–1) के लिए उद्धृत की गई दर 1,000 है द्वितीय वर्ष (वर्ष–2) के लिए उद्धृत की गई दर 1,200 है और तृतीय वर्ष (वर्ष–3) के लिए उद्धृत की गई दर 1,400 है तो एन पी वी होगा:-

$$1,000 + \frac{1,200}{1.1} + \frac{1,400}{1.21}$$

$$= 1000 + 1090.91 + 1157.02$$

$$= 3247.93 \text{ रू.}$$

यह निविदा प्रदान करने के लिए एल–1 को निर्धारित करने का मूल्य है तथापि, एल–1 बोलीदाता को उनकी वर्षवार कुटेशन के अनुसार अदायी की जाएगी।

14. बोलियां जमा करने की समय सीमा के बीच के अंतराल में किसी भी बोली को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अवधि के दौरान बोली वापस लेने से ऐसे बोलीदाता की ई एम डी (धरोहर जमा राशि) जब्त की जा सकती है। बोलियां, तकनीकी बोलियां खुलने की तारीख तीन महीने की स्वीकृत के लिए वैध रहेगी।

15. किसी भी अन्य जानकारी / स्पष्टीकरण के लिए एम एंड एम अनुभाग, सं.लो.से.आ. से किसी भी कार्यदिवस में 10.00 बजे से 17.00 बजे तक टेलीफोन नम्बर 23388195 पर संपर्क कर सकते हैं।

<u>जोखिम क्रय खंड :</u>

16. यदि निविदा प्रस्तुत करने और उसकी स्वीकृति के बाद अर्थात् आर्डर देने के बाद बोलीदाता इन निविदा दस्तावेज़ों के निबन्धन और शर्तो के अनुपालन में विफल रहता है या दी गई सुपुर्दगी अनुसूची के अनुसार सामग्री की आपूर्ति में विफल रहता है या किसी भी समय संविदा का परित्याग करता है तो सं.लो.से.आ. को धरोहर जमा राशि या बोलीदाता द्वारा जमा की कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि को जब्त करने और आपूर्तिकर्ता के जोखिम और परिणाम पर सामग्रियों को अन्य एजेंसी से खरीदने का अधिकार होगा। ऐसी खरीद की लागत अन्य आकस्मिक प्रभारों जिसमें सीमाशुल्क, कर, भाड़ा और बीमा आदि शामिल हैं, सहित आपूर्तिकर्ता से वसूली जाएगी। यदि, संघ लोक सेवा आयोग को

वैकल्पिक स्रोत के माध्यम से सेवाएं / सामग्री खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ता है और यदि खरीद मूल्य कम है तो इस आधार पर बोलीदाता को कोई लाभ नहीं दिया जाएगा।

सामान्य शर्तें :

17. किसी प्रकार की सामग्री की आपूर्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं की जाएगी। संविदाकर्ता/बोलीदाता को संविदा के लिए अपेक्षित सामग्री की व्यवस्था स्वयं करनी है। उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री अग्नि सुरक्षा मानकों / आई एस आई मानकों के अनुसार होनी चाहिए। सामग्री की घटिया / रद्दी किस्म की आपूर्ति की किसी भी शिकायत की जांच की जाएगी और यदि शिकायत सही पाई जाती है तो सं.लो.से.आ. केसक्षम प्राधिकारी द्वारा जैसा उचित समझा जाए, शास्ति अधिरोपित करने या संविदा को समाप्त करने और कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि को जब्त करने का अधिकार सुरक्षित है और घटिया किस्म की आपूर्ति के लिए देश के कानून के अनुसार वह कानूनी कार्रवाई का सहारा ले सकता है।

18. फर्म को संविदा के दौरान जमा हुए 'मलबा' यदि कोई हो, का निपटान समुचित रूप से करना होगा। इस मद पर कोई अतिरिक्त प्रभार अदा नहीं किया जाएगा ।

19. संविदा तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगी और शुरू होने की तारीख की गणना सफल बोलीदाता / बोलीदाताओं को पत्र के जारी होने के 10 वें दिन से की जाएगी ।

20. यदि फर्म / संविदाकर्ता का कार्य निष्पादन आयोग द्वारा संतोषजनक पाया जाता है और सक्षम प्राधिकारी ऐसा चाहते हैं तो संविदा को उसी दर, निबंधन एवं शर्तों पर आगे एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं।

21. बोलीदाता / एजेंसी को एक रजिस्टर रखना होगा जिसमें उनके द्वारा की गई मासिक सेवा का रिकार्ड दिखाना होगा और बै. एवं अनु. अनुभाग के अधिकारी का हस्ताक्षर लेना होगा जिसमें यह प्रमाणित करना होगा कि प्रदान की गई सेवा संतोषजनक है।

22. अग्नि-शमन उपकरण एवं आग बुझाने वाली रेत की बाल्टी के मासिक जांच कार्य पूरा होने पर बोलीदाता / एजेंसी को नि.आ.सू. के **अनुबंध-IV**के अनुसार मासिक जांच सूची जमा करनी होगी।

24. फर्म/बोलीदाता द्वारा उद्धृत की गई दरें, उसी प्रकार के कार्य के लिए अन्य सरकारी संगठनों से बोलीदाता द्वारा प्रभारित दर से ज्यादा नहीं होनी चाहए । इस आशय

का प्रमाण पत्र भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए बिल में किया जाना चाहिए।

भुगतान :

25. एल-1 अनुमोदित फर्म का भुगतान चार त्रैमासिक किश्तों में फर्म से बिलों की प्राप्ति के साथ ही फर्म द्वारा संपदा अधिकारी / सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाने वाले संतोषजनक कार्य निष्पादन के साथ किया जाएगा।

26. यदि यह पाया जाता है कि सेवाएं कार्यक्षेत्र के अनुसार तथा नि.आ.सू.के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुहैया नहीं की जाती हैं या किसी भी समय यह पाया जाता है कि फर्म सं.लो.से.आ. की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करती है तब सं.लो.से.आ. को यह अधिकार होगा कि वह सेवा न मुहैया करने के लिए फर्म के बिल से भुगतान की कटौती करेँ।

27. किया गया कार्य, आयोग से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात आयोग की संतुष्टि स्वरूप किया जाएगा इसमें विफल होने पर उक्त संबंधित तिमाही के लिए कुल बिल का 10% की दर से कटौती की जाएगी। उपेक्षा की गंभीरता के आधार पर, आयोग के पास एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करने तथा इसकी कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि जब्त करने का अधिकार है।

28. सचिव, सं.लो.से.आ. किसी निविदा के पूरे या उसके भाग को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। इस संबंध में सचिव, सं.लो.से.आ. का निर्णय अंतिम तथा फर्म पर बाध्यकारी होगा।

29. सं.लो.से.आ. की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा विधिवत रूप से केवल प्राधिकृत व्यक्तियों / ऑपरेटरों द्वारा ही कार्य निष्पादित किया जाएगा । वेंडर आयोग को अग्रिम रूप में प्राधिकृत कर्मचारियों की सूची उनके परिचय-पत्र सहित मुहैया कराएगा।

(टी. थियानखानमुआन)
अवर सचिव (सामान्य-I

सीएएमसी का अनुबंध–I

संघ लोक सेवा आयोग
(बैठक एवं अनुरक्षण अनुभाग)

अनुरक्षण एवं पुनर्भरण आदि के लिए अग्निशमन उपकरण एवं आग बुझाने के लिए रेत की बाल्टी का विवरण एवं विनिर्दिष्टताएं :-

क्रम सं.	मदों का विवरण	क्षमता	मात्रा* (सं. में)
1	जल संबंधी अग्निशमन उपकरण	09.00 कि.ग्रा.	83
2	CO_2 अग्निशमन उपकरण	02.00 कि.ग्रा.	09
		03.00 कि.ग्रा.	03
		04.50 कि.ग्रा.	120
3.	शुष्क रसायनिक पाउडर (एबीसी प्रकार के) संचित दबाव	02.00 कि.ग्रा.	88
		04.00 कि.ग्रा.	17
		05.00 कि.ग्रा.	55
		06.00 कि.ग्रा.	15
4.	शुष्क रसायनिक पाउडर (कार्टरिज प्रकार के)	05.00 कि.ग्रा.	3
		25.00 कि.ग्रा.	3
5.	यांत्रिक झाग प्रकार के	09.00 कि.ग्रा.	37
		50.00 कि.ग्रा.	3
6	“K” संबंधी अग्निशमन उपकरण	06.00 कि.ग्रा.	2
	कुलअग्निशमन उपकरण		438
6.	अग्नि चिन्हित रेत की बाल्टी		126

संघ लोक सेवा आयोग

(बैठक एवं अनुरक्षण अनुभाग)

(वेंडर/बोलीदाता द्वारा अग्निशमन उपकरण के साथ टैग किया जाए)

अग्निशमन उपकरण सं. ______________________ अवस्थिति ___________________

प्रकार _______________________________ क्षमता ___________________

पुर्नभरण की तारीख ___________________

हाइड्रोलिक परीक्षण की तरीख ___________________

हाइड्रोलिक परीक्षण की अगली देय तारीख ___________________

अग्निशमन उपकरण का निरीक्षण / जांच रिकार्ड

क्रम सं.	जांच की तारीख	के द्वारा जांच की गई	अभ्युक्तियां/हस्ताक्षर
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

सीएएमसी का **अनुबंध-III**

संघ लोक सेवा आयोग
(बैठक एवं अनुरक्षण अनुभाग)

(वेंडर/बोलीदाता द्वारा अग्निशमन उपकरण पर चिपकाया जाए)

<u>सर्विस पर्ची</u>

पुनर्भरण की तारीख	
अगली देय तारीख	

सीएएमसी का **अनुबंध-IV**

मासिक जांच सूची

(सफल बोलीदाता/वेंडर द्वारा प्रत्येक माह प्रस्तुत किया जाए)

क्र.सं.	विवरण (अप्रत्याशित सेवाकालीन असफलता के विरूद्ध अग्निशमन उपकरण के बचाव के लिए मासिक जांच को कार्यान्वित करते समय आवश्यक गतिविधियों को ध्यान में रखना चाहिए)	समुचित रूप से चिन्हित करें या अपनी अनुशंसाएं, यदि कोई हो, दें
1.	**सहज पहुंच को सुनिश्चित करना :** (क) आपातकालीन स्थिति में अग्निशमन उपकरणों तक सहज पहुँच है और कोई भी अग्निशमन उपकरण फर्नीचर या अन्य वस्तुओं द्वारा अवरूद्ध नहीं हैं। (ख) आपातकालीन स्थिति में अग्निशमन उपकरण की पहुंच आसान नहीं हैं। अग्निशमन उपकरण फर्नीचर या अन्य वस्तुओं द्वारा अवरूद्ध हैं।	हां / नहीं ____________ ____________ हां / नहीं____________ ____________
2.	**इसकी दृश्यता सुनिश्चित करना :** अग्निशमन उपकरण को उस स्थान पर रखा गया या टांगा गया है जो किसी भी कमरे / गलियारे में सभी लोगों द्वारा आसानी से देखा जा सके।	हां / नहीं (यदि नहीं तो कृपया उल्लेख करें) ____________ ____________
3.	**टेम्पर सील की जांच :** (क) अग्निशमन उपकरण पर टेम्पर सील हैं जो यह सत्यापित करता है कि इससेंकिसी प्रकार की कोई छेड-छाड़ नहीं की गई है। (ख) टेम्पर सील टूटा हुआ है या किसी ने अग्निशमन उपकरण का प्रयोग करने की कोशिश की है।	हां / नहीं (यदि (ख) तो कृपया उल्लेख करें) ____________ ____________
4.	**पुल पिन की जांच :** पुल पिन समुचित रूप से अग्निशमन उपकरण के हैंडल में लगी हुई है।	हां / नहीं (यदि नहीं तो कृपया उल्लेख करें) ____________ ____________
5.	**दबाव की जांच :** अग्निशमन उपकरण में अंतर्निहित दबाव गेजसमुचित प्रचालन दायरे में दबाव को दर्शाते हैं। CO_2 अग्निशमन उपकरण को रिसाव निर्धारित करने के लिए मापा गया है और ऐसे रिसाव नहीं हैं।	हां / नहीं (यदि नहीं तो कृपया उल्लेख करें) ____________ ____________
6.	**भौतिक क्षति, यदि कोई हो तो :** भौतिक क्षति, जंक, क्षरण, डिस्चार्ज पाईप की क्षति और अन्य समयावधि संबंधी क्षति है, तो उसका उल्लेख करें।	____________ ____________
7.	**क्या कोई भाग क्षतिग्रस्त है या नोजल फ्री है** यह सुनिश्चित कर लें कि अग्निशमन उपकरण के हौज या नोजल में कोई बग या कचरा नहीं है।	हां / नहीं (यदि नहीं तो कृपया उल्लेख करें) ____________ ____________
8.	**लेबलिंग** अग्निशमन उपकरण में लेबल लगे हैं ताकि प्रयोक्ता उस अग्नि वर्ग की पहचान यथाशीघ्र कर सके जिसके लिए अग्निशमन उपकरण प्रभावी हो सके।	हां / नहीं (यदि नहीं तो कृपया उल्लेख करें)

	अंकन प्रणाली में, संयुक्त रूप से, स्वीकार्य और अस्वीकार्य अग्निशमन प्रकारों, दोनों का चित्रण एक ही लेबल पर दिया गया है:-	____________ ____________
9.	**<u>अग्निशमन उपकरण की माउन्टिंग</u>** अग्निशमन उपकरण उनके निर्दिष्ट/पहचान वाले स्थान पर समुचित रूप से माउन्टेड किया गया है।	हां / नहीं (यदि नहीं तो कृपया उल्लेख करें) ____________ ____________
10.	**<u>अग्निशमन उपकरण निरीक्षण टैग / कार्य सूची कार्ड की टैगिंग</u>** अग्निशमन उपकरण निरीक्षण टैग/ कार्य सूची कार्ड को संबंधित अग्निशमन उपकरण के साथ समुचित रूप से टैग किया गया है और टैग में मासिक प्रविष्टियां हमारे द्वारा की गई हैं।	हां / नहीं (यदि नहीं तो कृपया उल्लेख करें) ____________ ____________
11.	**<u>आग बुझाने वाली रेत की बाल्टियां :</u>** आग बुझाने वाली रेत की बाल्टी ज्वलनशील सामग्री से मुक्त है	हां / नहीं (यदि नहीं तो कृपया उल्लेख करें) ____________ ____________
12.	**<u>सर्विस पर्ची को चिपकाना:</u>** वैध सर्विस स्लिप अग्निशमन उपकरणों पर लगाई गई हैं	हां / नहीं (यदि नहीं तो कृपया उल्लेख करें) ____________ ____________
13.	**<u>हाइड्रोलिक परीक्षण</u>** पुनर्भरण से पहले हाइड्रोलिक परीक्षण किया गया है।	हां / नहीं (यदि नहीं तो कृपया उल्लेख करें) ____________ ____________

<u>सीएएमसी का अनुबंध-v</u>

<u>अग्निशमन उपकरण एवं आग बुझाने वाली रेत की बाल्टी के विस्तृत वार्षिक अनुरक्षण के लिए निविदा आमंत्रण सूचना</u>

<u>प्रमाण-पत्र</u>

दिनांक__________ के सं.लो.से.आ. केनि.आ.सू. के प्रत्युत्तर में, हमने ____ (फर्म का नाम एवं पता) आपके विचारार्थ सं.लो.से.आ. में अग्निशमन उपकरण एवं आग बुझाने वाली रेत की बाल्टी के विस्तृत वार्षिक अनुरक्षण के लिए तकनीकी एवं वित्तीय बोली प्रस्तुत की है। नि.आ.सू. के अंतर्गत यथाअपेक्षित जानकारी हम एतदद्वारा निम्नानुसार प्रमाणित करते हैं :-

1. कि हमें निविदा की सभी निबंधन एवं शर्ते स्वीकार्य हैं।
2. कि मुझे / हमें तात्कालिक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान आय / धन को छिपाने के लिएदंडित / दोषी करार नहीं दिया गया है।
3. कि हम नि.आ.सू. में निर्दिष्ट कार्य के क्षेत्र को पूरी तरह से समझते है और हमारी बोलीपूर्ण रूपेण कार्य क्षेत्र के अनुरूप है।
4. कि फर्म को किसी सरकारी विभाग द्वारा न तो ब्लैकलिस्ट किया गया है और न ही फर्म या इसके मालिक / साझेदार के विरूद्ध भारत में किसी भी स्थान पर कोई आपराधिक मामला पंजीकृत / लंबित है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
रबड़ की मोहर सहित फर्म / बोलीदाता का
नाम एवं पता

सीएएमसी का अनुबंध- VI

जांचसूची

(तकनीकीबोलीकेभागकेरूपमें)

फर्मकानामएवंपता ________________________________

____

____

दूरभाष / मोबाइलसं. ________________________________

प्राधिकृतहस्ताक्षरकर्ता ________________________________

कानाम ________________________________

क्र. सं.	जांचसूचीकाविवरण	समुचितरूपसेचिह्नितकरें
1	क्याजमाधरोहरराशिसंलग्नहै।	हां / नहीं
2	सक्षमप्राधिकारीद्वाराजारीव्यापारअनुज्ञप्ति / पंजीकरणप्रमाण-पत्रकीप्रति।	हां / नहीं
3	विगततीनवित्तीयवर्षोंअर्थात2019-2020,2020-2021एवं2021-2022केदौरानअन्यबातोंकेसाथ-साथनिवललाभ / हानिकोदर्शातेहुएफर्मकावार्षिककारोबारजोविधिवतरूपसेउनकेचार्टररितलेखाकारसेप्रमाणितहो, संलग्नहै।	हां / नहीं
4	क्यासेवाकरपंजीकरणप्रमाणपत्रसंलग्नकियागयाहै।	हां / नहीं
5	क्याफर्मकाआयकरस्थायीखातासं.संलग्नकियागयाहै।	हां / नहीं
6	क्याविगततीनवित्तीयवर्षोंअर्थात2019-2020,2020-2021एवं2021-2022 कीआयकरविवरणीसंलग्नहै।	हां / नहीं
7	क्यातीनवर्षोंकेलिएसमानप्रकारकीसेवाप्रदानकरनेकेअनुभवसेसंबंधितदस्तावेजकोसंलग्नकियागयाहै।	हां / नहीं
8	क्यानिविदादस्तावेजकेअनुबंध-V मेंदिएगएदस्तावेजकोहस्ताक्षरकरप्रस्तुतकियागयाहै	हां / नहीं
9	क्याअद्यतनसेवाकरविवरणीसंलग्नकीगईहै	हां / नहीं

(प्राधिकृतहस्ताक्षरकर्ता)

रबड़कीमोहरसहितफर्म / बोलीदाता

कानामएवंपता

सीएएमसी का अनुबंध– VII

अग्निशमन उपकरण आदि के अनुरक्षण / पुनर्भरण के लिए निविदा आमंत्रण सूचना
(वित्तीय बोली)

अनुबंध–VII						
क्रम सं.	मद का विवरण	मात्रा	इकाई	**प्रथम वर्ष हेतु इकाई दर (रुपये में) (कर रहित)**	**द्वितीय वर्ष हेतु इकाई दर (रुपये में) (कर रहित)**	**तृतीय वर्ष हेतु इकाई दर (रुपये में) (कर रहित)**
1	जल संबंधी अग्निशमन उपकरण– 9 किग्रा (अनुरक्षण)	83	की संख्या में			
2	CO_2प्रकार का अग्निशमन उपकरण – 2 किग्रा (अनुरक्षण)	9	की संख्या में			
3	CO_2प्रकार काअग्निशमन उपकरण – 3 किग्रा (अनुरक्षण)	3	की संख्या में			
4	Co2प्रकार काअग्निशमन उपकरण – 4.5 किग्रा (अनुरक्षण)	120	की संख्या में			
5	शुष्क रसायनिक पाउडर (एबीसी प्रकार) संचित दबावअग्निशमन – 2 किग्रा (अनुरक्षण)	88	की संख्या में			
6	शुष्क रसायनिक पाउडर (एबीसी प्रकार) संचित दबावअग्निशमन – 4 किग्रा (अनुरक्षण)	17	की संख्या में			
7	शुष्क रसायनिक पाउडर (एबीसी प्रकार) संचित दबावअग्निशमन – 5 किग्रा (अनुरक्षण)	55	की संख्या में			
8	शुष्क रसायनिक पाउडर (एबीसी प्रकार के) संचित दबाव अग्निशमन 6 किग्रा (अनुरक्षण)	15	की संख्या में			
9	शुष्क रसायनिक पाउडर (कार्टरिज प्रकार के) अग्निशमन 5 किग्रा (अनुरक्षण)	3	की संख्या में			
10	शुष्क रसायनिक पाउडर (कार्टरिज प्रकार के) अग्निशमन – 25 किग्रा (अनुरक्षण)	3	की संख्या में			
11	यांत्रिक झाग प्रकार के अग्निशमन – 9 किग्रा (अनुरक्षण)	37	की संख्या में			

12	यांत्रिक झाग प्रकार के अग्निशमन – 50 किग्रा (अनुरक्षण)	3	की संख्या में			
13	K प्रकार के अग्निशमन – 6 किग्रा (अनुरक्षण)	2	की संख्या में			
14	अग्नि चिन्हित रेत की बाल्टी (अनुरक्षण)	126	की संख्या में			
15	जल सबंधी अग्निशमन – 9 किग्रा (पुनर्भरण)	83	की संख्या में			
16	CO_2प्रकार के अग्निशमन - 2 किग्रा (पुनर्भरण)	9	की संख्या में			
17	CO_2प्रकार के अग्निशमन - 3 किग्रा (पुनर्भरण)	3	की संख्या में			
18	CO_2प्रकार के अग्निशमन - 4.5 किग्रा (पुनर्भरण)	120	की संख्या में			
19	शुष्क रसायनिक पाउडर (एबीसी प्रकार) संचित दबावअग्निशमन – 2 किग्रा (पुनर्भरण)	88	की संख्या में			
20	शुष्क रसायनिक पाउडर (एबीसी प्रकार) संचित दबावअग्निशमन – 4 किग्रा (पुनर्भरण)	17	की संख्या में			
21	शुष्क रसायनिक पाउडर (एबीसी प्रकार) संचित दबावअग्निशमन – 5 किग्रा (पुनर्भरण)	55	की संख्या में			
22	शुष्क रसायनिक पाउडर (एबीसी प्रकार) संचित दबावअग्निशमन – 6 किग्रा (पुनर्भरण)	15	की संख्या में			
23	शुष्क रसायनिक पाउडर (कार्टरिज प्रकार के) अग्निशमन 5 किग्रा (पुनर्भरण)	3	की संख्या में			
24	शुष्क रसायनिक पाउडर (कार्टरिज प्रकार के) अग्निशमन 25 किग्रा (पुनर्भरण)	3	की संख्या में			
25	यांत्रिक झाग प्रकार के अग्निशमन – 9 किग्रा (पुनर्भरण)	37	की संख्या में			
26	यांत्रिक झाग प्रकार के अग्निशमन – 50 किग्रा (पुनर्भरण)	3	की संख्या में			

27	K प्रकार के अग्निशमन – 6 किग्रा (अनुरक्षण)	2	की संख्या में			
28	अग्नि चिन्हित रेत की बाल्टी (अनुरक्षण)	126	की संख्या में			
29	**मद संख्या 1 से 28 तक वर्षवार कुल संख्या**					
30	**सकल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) {न्यूनतम बोलीदाता को चिन्हित करने हेतु}**					
कुल शब्दों में						